

779699

खाद्य एवं आपूर्ति विभाग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार दिल्ली
परिवार उपभोक्ता कार्ड के नवीनीकरण हेतु घोषणा फार्म (बी.पी.एल.)

महत्वपूर्ण सूचना

- (i) इस फार्म में झूठी सूचना देने पर सजा या/और जुर्माना हो सकता है।
(ii) जो अंत्योदय अन्न योजना का लाभ उठाना चाहते हैं वे इस फार्म का भाग 'ब' भी भरें। अधूरा व गलत भरा फार्म रद्द कर दिया जायेगा।
(iii) कृपया निर्धारित बाक्स में परिवार के मुखिया का फोटो चिपकाएं तथा एक अतिरिक्त कॉपी सत्यापित करवाके इस फार्म के साथ नत्थी करें। कृपया इस फार्म का नं० दोनों फोटो के पीछे लिखें।
(iv) इस फार्म का मूल्य एक रूपया है। फार्म के साथ वर्तमान उपभोक्ता कार्ड की फोटो कॉपी संलग्न करें।

भाग - 'अ'

1. परिवार के मुखिया का नाम
2. पिता/पति का नाम
3. राष्ट्रीयता
4. निवासीय ईकाई का वर्ग (कृपया उपयुक्त पर सही का निशान लगायें)

☐ घर ☐ झुग्गी ☐ बेघर

घर/झुग्गी संख्या, ब्लॉक संख्या,
गली/स्ट्रीट, मोहल्ला/कॉलोनी, क्षेत्र,
नई दिल्ली/दिल्ली, पिन कोड

परिवार के
मुखिया का
फोटो
(3.5 cm x 2.5 cm)

(नोट: बेघर व्यक्ति अपना वह पता दें जहाँ उनसे संपर्क किया जा सके)

6. वर्तमान कार्ड का प्रकार - झुग्गी राशन कार्ड ☐ / स्थाई राशन कार्ड ☐ (उपयुक्त पर सही का निशान लगायें) वर्तमान कार्ड संख्या उ०द०दु सं०
पंजीकरण संख्या खाद्य ईकाईयां चीनी की ईकाईयां
खाद्य श्रेणी : गेहूँ ☐ / चावल ☐ (उपयुक्त पर सही का निशान लगायें) ऊर्जा श्रेणी : गैस ☐ / मिट्टी का तेल ☐ (उपयुक्त पर सही का निशान लगायें)
7. क्या आप गैस से खाना पकाते हैं (कृपया हां या नहीं लिखें)
8. यदि आप मिट्टी के तेल का उपयोग करते हैं। - नीले कार्ड की संख्या मिट्टी के तेल के डिपो की संख्या
9. उन प्रस्तावित व्यक्तियों के विवरण जिनको नवीनीकृत परिवार उपभोक्ता कार्ड में सम्मिलित किया जाना है :-

क्रम सं.	पूरा नाम (यदि भारतीय न हो, तो राष्ट्रीयता भी लिखें)	पिता/पति का नाम	जन्म का वर्ष	मुखिया से संबंध यदि कोई है	वार्षिक व्यक्तिगत आय, यदि कमाता है	हस्ताक्षर या अंगूठा, यदि वयस्क हो
1.				स्वयं		
2.						
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						

10. समस्त सदस्यों की व्यक्तिगत वार्षिक आय का योग रु.
11. अन्य समस्त स्रोतों जैसे भूमि/जायदाद/पशुओं से गृह की वार्षिक आय रु.
12. गृह की कुल वार्षिक आय (10+11) रु.

(नोट : अधिक
व्यक्तियों के लिए
पृथक कागज का
प्रयोग करें)

13. मैं एतद्वारा घोषणा करता हूँ कि :-

- (i) इस फार्म के भाग 'अ' व 'ब' में दी गई सूचना सही है यदि इसमें कोई सूचना गलत सिद्ध हुई तो मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दण्ड का अधिकारी होऊंगा/होऊंगी।
(ii) उपरोक्त कालम 9 में दर्शाये गये सभी व्यक्ति मेरे सहित आम तौर पर दिल्ली में रहते हैं और उनकी दिल्ली में स्थायी रूप से रहने की संभावना है। उनके नाम से पहले कोई उपभोक्ता कार्ड नहीं है और न ही उनका नाम किसी दूसरे उपभोक्ता कार्ड में सम्मिलित है। वे कोई विनिर्दिष्ट खाद्य वस्तु किसी सैन्य बल से नहीं ले रहे हैं।
(iii) मैं घोषणा करता/करती हूँ कि यदि मैं या कालम 9 में सम्मिलित कोई व्यक्ति (क) 30 दिन से ज्यादा दिल्ली छोड़कर जाता है या (ख) अपने नाम पर गैस कनेक्शन प्राप्त करता है, या गृह की कुल वार्षिक आय गरीबी रेखा से ऊपर होती है तो मैं तुरन्त संबंधित मंडल कार्यालय को सूचित करूंगा/करूंगी।

दिनांक

(प्रार्थी का पूरा नाम)

(परिवार के मुखिया के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान)

779699

फार्म संख्या

रसीद

श्री/श्रीमती

से नया परिवार उपभोक्ता कार्ड बनाने के लिए घोषणा फार्म प्राप्त किया। निम्न सूचना/प्रपत्र दो दिन के अन्दर भेजे जायें-

1.

2.

यदि उपरोक्त सूचना दे दी जाती है तो नया कार्ड दो माह के बाद प्राप्त किया जा सकता है।

प्राप्तकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर व तिथि

अंत्योदय परिवारों की पहचान हेतु फार्म (गैर आर्थिक संकेतक)

कृपया उपयुक्त खाने में क्रॉस का चिन्ह लगायें जैसे ☒

1. परिवार के मुखिया के रोजगार का वर्ग

रोजगार/अकृशल श्रमिक

अकृशल श्रमिक

दिना स्थायी कार्यस्थल का स्वयं रोजगार जैसे फेरीवाला, रिक्शावाला, कुली आदि

स्थायी कार्यस्थल वाला स्वयं रोजगार जैसे तहज्जारी, जोका आदि

सामाजिक सुरक्षा के साथ संगठित क्षेत्र में रोजगार

2. आवास का वर्ग

कोई आश्रय न होना

झुग्गी/रस्म में सह निवास

झुग्गी में किराये का निवास

स्वयं की झुग्गी/रस्म में आवास

किराये पर दूसरे इलाके में आवास

3. आश्रित पारिवारिक सदस्यों की संख्या

8 से अधिक

6 से 8

4 से 6

2 से 4

2 से कम

4. आवास परिस्थितियाँ

अ. छत

कोई छत नहीं

छप्पर

एस्बेस्टस की छत

खपरैल

सीमेंट

केवल कार्यालय
प्रयोग हेतु

भार

भार

भार

भार

ब. घर का फर्श

मिट्टी का

बजरी

इंटों का बना

सीमेंट

पच्चीकारी/जड़ाव (मोसेक)

स. पानी

500 गज में कोई पानी की सप्लाई न होना

सामुदायिक हैंड पम्प

सामुदायिक ट्यूबवैल

निजी हैंड पम्प

निजी पाईप पानी आपूर्ति

ड. सफाई

खुला मलत्याग

सामुदायिक सूखा शौचालय

सामुदायिक पलश शौचालय

निजी सूखा शौचालय

निजी पलश शौचालय

5. क्या परिवार में 14 वर्ष से कम आयु का कोई भी बच्चा -

कार्य करता है और किसी भी प्रकार की शिक्षा नहीं प्राप्त करता

कार्य करता है और अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करता है

कार्य करता है और औपचारिक शिक्षा भी प्राप्त करता है

कार्य नहीं करता और किसी भी प्रकार शिक्षा प्राप्त नहीं करता है

कार्य नहीं करता और अनौपचारिक शिक्षा प्राप्त करता है

केवल कार्यालय
प्रयोग हेतु

भार

भार

भार

भार

भारों का योग

घोषणा

मैं श्री/श्रीमती
तहत दण्ड का पात्र होऊंगा/होऊंगी।

एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि यदि ऊपर दी गई कोई सूचना झूठी साबित हुई तो मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के

(प्राप्ति के हस्ताक्षर)

For Office Use Only

Existing Ration Card entered in master register of FPS Number

Page No.

Regn. No.

New Household Card

1. Declaration Form No.

2. Card No.

3. Card category (Antyodaya=1, BPL=2, APL=3)

4. Type of dwelling unit (House=1, Jhuggi=2, Homeless=3)

5. Food category (Wheat=1, Rice=2)

6. Energy category (LPG=1, Kerosene=2)

7. Total Annual Income of the house hold Rs.

8. Total weight of non economic parameters

9. No. of Units

Wheat

Sugar

Kerosene

10. Circle code of FPS Assigned

11. Address of FPS

12. Licence No. of KOD Assigned/Gas Agency No.

13. Address of KOD

New Master Register No.

Page No.

Sl. No.

Name & Signature
prepared byName & Signature
Checked byName designation & seal of the
Accepting Officer

Signature of the Accepting officer

Received the above card. Surrendered old card no.

& Blue Card No.

Date:

Name & Signature of the card holder